न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2021 / 530
मुकदमा नम्बर 196 / 2021 दावा दर्ज दिनांक—17.12.2021

1. गंगाधर पुत्र औंकारमल
2. सुरेश पुत्र औकारमल
3. रामस्वरूप पुत्र औकारमल
4. दयाराम पुत्र औकारमल समस्त जाति जाट निवासीगण तोगडा कंलाप तहसील नवलगढ, जिला झुझुनूं

—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

—प्रतिवादी

दावा घोषणार्थ व नक्शा दुरूस्ती

वकील वादी : — श्री सज्जन चाहर
प्रतिवादी :— पैरो. राज.

:: निर्णय :: **निर्णय दिनांक 16.07.2025**

वादी वादी इस कदर पेश किया गया कि, राजस्व ग्राम तोगडा कंला की कृषि भूमि खाता सं. नया 16 पुराना 11 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 530 रकबा 0.42 है0 के दक्षिणी—पश्चिमी कोने से डोटेड रास्ता हटाया गया है उसको वादी के खसरा नं. 530 के दक्षिणी —पश्चिमी कोणे मे दर्शाया जावे। इस प्रकार से नक्शा दुरूस्त किया जावें।

वाद वादी पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादी कि जारी की गई। तहसीलदार नवलगढ कि और से रिपोर्ट क्रमांक / 2208 दिनांक 26.06.2024 पेश हुई। जिसका अवलोकन किया गया।

बहस उभय पक्ष पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील वादी ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरो. राज. ने तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करवाते हुये कथन किया कि खसरा नं. 530 के दक्षिण पश्चिमी कोणा एंव दक्षिणी सीमा सम्पूर्ण पर कटान का रास्ता लग रहा है। वादी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकार योग्य नही है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी अपना वाद साबित करने मे असमर्थ रहा है। तहसीलदार व पटवारी रिपोर्ट से भी इस आशय की ताहीद होती है कि, वादी के वाद अनुसार रिकॉर्ड में भिन्नता नही होने से कोई रिकॉर्ड दुरूस्ती अपेक्षित नही है। प्रकट रूप से पूर्व नक्शा व वर्तमान नक्शें में कोई भिन्नता नही पाई गई है। इसलिये दुरूस्ती किये जाने का कोई कारण नही है। मौके पर रास्ता अलग से है। इसलिये वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है।

:: आदेश ::

लिहाजा वाद वादी साबित करने मे असमर्थ रहने, पोषणीय व न्यायोचित नही होने से खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीसीएमएस नं. 2021/530
मुकदमा नम्बर 196/2021

दावा दर्ज दिनांक–17.12.2021

1. गंगाधर पुत्र औंकारमल
2. सुरेश पुत्र औकारमल
3. रामस्वरूप पुत्र औकारमल
4. दयाराम पुत्र औकारमल समस्त जाति जाट निवासीगण तोगडा कंलाप तहसील नवलगढ, जिला झुझुनूं

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुझुनूं

–प्रतिवादी

दावा घोषणार्थ व नक्शा दुरूस्ती
(डिकी)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

वाद वादी साबित करने मे असमर्थ रहने, पोषणीय व न्यायोचित नही होने से खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

जन...........–............... मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–............फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 16 माह 07 सन 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00